

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या: एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/डाटा कार्ड/2017-18/50-ए/7350.2 दिनांक: 09/10/18

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 128 जिला चिकित्सालयों एवं 823 ब्लॉक पीएमयू में इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 2018-19 Letter No. F.No. 10(10)/2018-NHM1 dated 13th July 2018 में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की 103 वीं बैठक दिनांक 21.08.2017 के एजेण्डा मद संख्या 103.84 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन फ्लैक्सीपूल में एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 के अन्तर्गत न्यू एफ0एम0आर0 कोड संख्या 16.6.3 (पूर्व एफ0एम0आर0 कोड संख्या B15.3.2.7) "Internet Connectivity through LAN / data card" हेतु निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

Approval received for internet connectivity through LAN/data cards @Rs 1,000/-per month per District Hospital for 128 District Hospitals and @ Rs 1,000/- per month per Block M&E Cell/ data entry point for 823 Block M&E Cells and 18 data entry points. This is subject to 100% facility based reporting on HMIS & MCTS / RCH portal and improvement in data quality thereof. These are indicative rates; final rates are to be arrived at as per DGS & D rate contract or after competitive bidding following Government protocols.

उपरोक्त मानकानुसार जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि हेतु विवरण निम्नवत् है:-

- Rs.1,000/- per month per District Hospital for 128 District Hospitals.
- Rs 1,000/- per month per block M&E Cell/data entry point for 823 block M&E Cells and 18 data entry points.

S.N	District	No. of Block	DCH	DMH	DWH	M&E Cell at Division	Total	Total Fund Allocated to districts for Internet Connectivity Through LAN/Data card FY 2018-19	Fund allocated for 4 months DAP of FY 2018-19	Balance fund to be allocated for 8 months DAP of FY 2018-19
Col. 1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7	Col.8= Col. (4+5+6)	Col.9= [(Col.3 + Col.7) X Rs.1000+ Col.8 X Rs.1000]	Col.10	Col.11= (Col.9 - Col.10)
1	Agra	15	-	1	1	1	2	216000	72000	144000
2	Aligarh	12	1	1	1	1	3	192000	66000	126000
3	Allahabad	20	-	2	1	1	3	288000	98000	190000
4	Ambedkar Nagar	9	1	-	-	-	1	120000	42000	78000
5	Amethi	13	-	-	-	-	0	156000	52000	104000
6	J.P. Nagar	6	-	-	-	-	0	72000	24000	48000
7	Auraiya	7	-	-	-	-	0	84000	28000	56000
8	Azamgarh	22	-	1	1	1	2	300000	100000	200000
9	Bagpat	6	-	-	-	-	0	72000	24000	48000
10	Bahraich	14	-	1	1	-	2	192000	68000	124000
11	Ballia	17	-	1	1	-	2	228000	80000	148000
12	Balrampur	9	-	1	1	-	2	132000	48000	84000
13	Banda	8	-	1	1	-	2	120000	44000	76000
14	Barabanki	15	-	1	1	-	2	204000	72000	132000
15	Bareilly	15	-	1	1	1	2	216000	72000	144000
16	Basti	14	-	1	1	1	2	204000	68000	136000

S.N	District	No. of Block	DCH	DMH	DWH	M&E Cell at Division	Total	Total Fund Allocated to districts for Internet Connectivity Through LAN/Data card FY 2018-19	Fund allocated for 4 months DAP of FY 2018-19	Balance fund to be allocated for 8 months DAP of FY 2018-19
Col. 1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7	Col.8= Col. (4+5+6)	Col.9= [(Col.3 + Col.7) X Rs.1000+ Col.8 X Rs.1000]	Col.10	Col.11= (Col.9 - Col.10)
17	Bijnor	11	1	-	1		2	156000	56000	100000
18	Budaun	15	-	1	1		2	204000	72000	132000
19	Bulandshahar	16	1	1	1		3	228000	82000	146000
20	Chandauli	9	-	1	-		1	120000	42000	78000
21	Chitrakoot	5	1	-	-	1	1	84000	26000	58000
22	Deoria	16	-	1	1		2	216000	76000	140000
23	Etah	8	-	1	1		2	120000	44000	76000
24	Etawah	8	-	1	1		2	120000	44000	76000
25	Faizabad	11	-	1	1	1	2	168000	56000	112000
26	Farrukhabad	7	-	1	1		2	108000	40000	68000
27	Fatehpur	13	-	1	1		2	180000	64000	116000
28	Firozabad	9	1	1	1		3	144000	54000	90000
29	G B Nagar	4	1	-	-		1	60000	22000	38000
30	Ghaziabad	4	1	1	1		3	84000	34000	50000
31	Ghazipur	16	-	1	1		2	216000	76000	140000
32	Gonda	16	-	1	1	1	2	228000	76000	152000
33	Gorakhpur	19	-	1	1	1	2	264000	88000	176000
34	Hamirpur	7	-	1	1		2	108000	40000	68000
35	Hapur	4	-	-	-		0	48000	16000	32000
36	Hardoi	19	-	1	1		2	252000	88000	164000
37	Hathras	7	1	-	1		2	108000	40000	68000
38	Jalaun	9	-	1	1		2	132000	48000	84000
39	Jaunpur	21	-	1	1		2	276000	96000	180000
40	Jhansi	8	-	1	1	1	2	132000	44000	88000
41	Kannauj	8	1	-	-		1	108000	38000	70000
42	Kanpur Dehat	10	1	-	-		1	132000	46000	86000
43	Kanpur Nagar	10	-	2	1	1	3	168000	58000	110000
44	Kashganj	7	-	1	-		1	96000	34000	62000
45	Kaushambi	8	1	-	-		1	108000	38000	70000
46	Kushinagar	14	1	-	-		1	180000	62000	118000
47	Lakhimpur Kheri	15	-	1	1		2	204000	72000	132000
48	Lalitpur	6	-	1	1		2	96000	36000	60000
49	Lucknow* (+3 Block)	11	1	1	2	1	4	192000	68000	124000
50	Maharajganj	12	1	-	-		1	156000	54000	102000
51	Mahoba	4	1	-	1		2	72000	28000	44000
52	Mainpuri	9	-	1	1		2	132000	48000	84000
53	Mathura	10	-	1	1		2	144000	52000	92000
54	Mau	9	1	-	-		1	120000	42000	78000
55	Meerut	12	-	1	1	1	2	180000	60000	120000
56	Mirzapur	12	-	1	1	1	2	180000	60000	120000
57	Moradabad	8	-	1	1	1	2	132000	44000	88000
58	Muzaffarnagar	9	-	1	1		2	132000	48000	84000
59	Pilibhit	7	-	1	1		2	108000	40000	68000
60	Pratapgarh	17	-	1	1		2	228000	80000	148000
61	Rae Bareilly	18	-	1	1		2	240000	84000	156000
62	Rampur	6	-	1	1		2	96000	36000	60000
63	Saharanpur	11	-	1	1	1	2	168000	56000	112000
64	Sambhal	8	-	-	-		0	96000	32000	64000
65	Sant Kabir Nagar	9	-	-	-		0	108000	36000	72000
66	S.R Nagar (Bhadohi)	6	-	1	-		1	84000	30000	54000
67	Shahjahanpur	15	-	1	1		2	204000	72000	132000
68	Shamli	5	-	-	-		0	60000	20000	40000
69	Shrawasti	5	-	-	-		0	60000	20000	40000
70	Siddharth Nagar	14	1	-	-		1	180000	62000	118000
71	Sitapur	19	-	1	1		2	252000	88000	164000
72	Sonbhadra	8	1	-	-		1	108000	38000	70000
73	Sultanpur	13	-	1	1		2	180000	64000	116000
74	Unnao	16	-	1	1		2	216000	76000	140000
75	Varanasi	8	-	3	1	1	4	156000	56000	100000
	Total	823	19	56	53	18	128	11628000	4060000	7568000

इंटरनेट कनेक्टिविटी लेन/डाटा कार्ड के माध्यम से

128 जिला चिकित्सालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु रु0 1,000.00 प्रति माह की दर से एवं 823 ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों (Lucknow +3 Blocks extra) एम0एण्ड0ई0 सेल/डाटा इन्ट्री प्वांट तथा 18 डाटा इन्ट्री प्वांट में इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु रु0 1,000.00 प्रति माह प्रति ब्लॉक की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इस धनराशि का उपयोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के मासिक बिल के भुगतान, नजदीक के स्वान सेंटर्स (SWAN- state wide Area Network) अथवा साइबर कैफे के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ब्लॉक/जनपद/प्रदेश मुख्यालय सूचनाएं प्रेषित करने के लिए किया जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार **Internet Connectivity through LAN / data card** हेतु वित्त अनुभाग द्वारा जनपदों को डैप के माध्यम से धनराशि आवंटित की गयी है। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय न्यू एफ0एम0आर0 कोड संख्या 16.6.3 (पूर्व एफ0एम0आर0 कोड संख्या B15.3.2.7) "**Internet Connectivity through LAN / data card**" से जनपद पर उपलब्ध धनराशि से किया जाए एवं डैप के सापेक्ष व्यय विवरण ससमय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की

प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

↓

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या: एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/डाटा कार्ड/2017-18/50-ए/

तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0-एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश एवं महाप्रबन्धक एम0आई0आई0 को इस आशय से प्रेषित की दिशा-निर्देश की प्रति कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(बी0के0 जैन)

महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0